

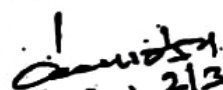
झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

अधिसूचना

झारखण्ड राज्य में अंगीकृत बिहार वित्त नियमावली के नियम-30 के उप नियम-6 के नीचे निम्न प्रावधान स्थापित किया जाता है :-

- 6 (क) अगर किसी कार्य के लिए पायम बार निविदा आमंत्रित करने पर एकल निविदा प्राप्त हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जाय ।
- 6 (ख) अगर दोबारा निविदा आमंत्रित करने पर भी एकल निविदा प्राप्त होती है तो उसका निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।

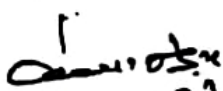
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(ललन पाण्डेय) 21/3/07
संयुक्त सचिव

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक - वित्त-7/ वि०नि० 1021/06.....593/वि राँची, दिनांक 6-3-07

प्रतिलिपि : सहायक, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय ।


(ललन पाण्डेय) 21/3/07
संयुक्त सचिव

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक - वित्त-7/ वि०नि० 1021/06.....593/वि राँची, दिनांक 6-3-07

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के सचिव/ प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ स्थानिय आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सभी जिलों के उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(ललन पाण्डेय) 21/3/07
संयुक्त सचिव

वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।